कुछ एलोपैथिक दवाइयों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना

2538. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान किन-किन एलोपैथिक दवाइयों के उत्पादन और आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है ;

(ख) क्या प्रतिबंधित दवाओं के बाजार में न पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए बाजार में कोई जांच-पड़ताल की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कोई प्रतिबंधित दवाइयों हेतु बाजार में उपलब्ध पाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए एसे मामलों और पकड़ित फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान प्रतिबंधित की गई औषधों का ब्यौरा विवरण में दिया जाता है (नीचे देखिए) ।

(ख) से (घ) औषधों के निर्माण और बिक्री की मानीटरिंग राज्य औषध नियंत्रण संगठन द्वारा की जाती है जिन्हें विनिष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा जहां ऐसी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, त्योंही किसी भी प्रतिबंधित औषध के निर्माण और विपणन की संभावना को रोकने का परामर्श दिया जाता है । व्यावसायिक-पत्रिकाओं के माध्यम से और व्यापारिक संगठनों को सूचित करके औषधों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में प्रकाशित भी किया जाता है । राज्य औषध नियंत्रकों ने प्रतिबंधित औषधों के संबंध में तीन उदाहरणों की सूचना दी है । केरल में कैमिस्ट और निर्माता के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है । बिहार और गुजरात में लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है ।

विवरण

1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान प्रतिबंधित औषधों/औषधयोगों की सूची

1. डाक्स पाउडर आई० पी०
2. डाक्स पाउडर टेबलेटस आई० पी०
3. क्लोरिन अथवा पेंसिन अथवा सट्रेप्टोमाइसिन अथवा एक्टीनेडिड बाल्कोल युक्त प्रतिसार-रोधी औषध-योग ।
4. फ्यूराल्टिडोन सल्फेथियाजोल अथवा सल्फेगुएनिडाइन अथवा सक्सीनिल सल्फेथियाजोल युक्त प्रतिसार-रोधी औषध योग ।
5. उनके संबंधित अवयवों अथवा लवणों सहित निओमाइसिन अथवा स्ट्रेप्टोमाइसिन अथवा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त प्रतिसार-रोधी औषध योग ।
6. तरल मुखीय प्रतिसार-रोधी औषधों अथवा उनके अवयवों अथवा लेक्टरों अथवा मेंथा-बोलाइट्स हिपोसेमाइन अथवा उनके लवणों अथवा उनके एल्कालोयडों सहित हिपेनोक्लीसिड अथवा लोपेरामाइड अथवा सट्रोपाइन अथवा बेल्लाडोना युक्त बच्चों के उपयोग के लिए तरल मुखीय प्रतिसार-रोधी औषधें अथवा किसी अन्य खुराक के रूप में ।
7. बच्चों के उपयोग के लिए हेलोजेनेटिड हाइड्राक्सिक्विनोलाइन्स युक्त तरल मुखीय प्रतिसार-रोधी औषधों अथवा किसी अन्य खुराक के रूप में ।

8. इलेक्ट्रोलिटों सहित अतिसार-रोधी औषधों की निश्चित खुराक के सम्मिश्रण ।

9. विटामिन "सी" सहित किसी अन्य टेट्रासाइक्लिनों की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

10. पिपराजाइन/सटोनिन को छोड़कर के वाटोक्लपर्मेटिव सहित किसी एंथेल्मिन्टिक की निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

11. पेंट्ट व प्रोप्राइटरि मुखीय पुनर्जलपूर्ण लवण ।

12. किसी अन्य औषध के साथ पाक्सीफेनबूटाजोन अथवा फिनिलबूटाजोन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

13. एंटी स्पेसमाडिक्स को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ एनेल्जिन के निर्धारित खुराक वाल सम्मिश्रण ।

14. एंटी स्पेसमाडिक्स और/अथवा नान स्टेरायडल, प्रदाहक रोधी औषधों (नसेड्स) को छोड़कर किसी अन्य औषध के साथ डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

15. किसी औषध का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसके मानक किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध अथवा यूनानी औषध के साथ उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित किए गए है ।

16. बाह्य उपयोग के सम्पादकों के सिवाय किसी अन्य औषध के साथ औषधों के हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन समूह के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

17. पेन्सिलिनों के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

मानसिक चिकित्सालयों में रोगी

2539. **श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-7-1997 की स्थिति के अनुसार देश के मानसिक रोग चिकित्सालयों में चिकित्सालय-वार कितने रोगी भरती है ;

(ख) वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक एवं 31 जुलाई, 1997 तक चिकित्सालय-वार कितने मरीजों की मृत्यु हुई ;

(ग) इनमें से चिकित्सालय-वार कितने मरीजों को स्वस्थ हो जाने के बावजूद उनके परिजनों द्वारा घरने पर ले जाए जाने से इन्कार कर दिया गया है ; और

(घ) सरकार द्वारा स्वस्थ हो चुके परन्तु परिजनों द्वारा परित्यक्त मरीजों की पुनर्वास संबंधी योजनाओं एवं किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) वर्ष 1991 और 1992 में विशिष्ट मानसिक अस्पतालों में दाखिल किए गए अस्पतालों से छुट्टी किए गए और मृत मानसिक रोगियों का राज्यवार विवरण अनुपत्र में दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 181, **अनुपत्र संख्या** 67] । वर्ष 1993 और उसके आगे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो विशिष्ट संस्थाएं है । ये है—राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और